



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 85/2020 निर्णय दिनांक 12.03.2022

27/03/22 से. आ. नं. 1110 से. आ. नं. 1110  
बनाम

[ विस्तृत विवरण पृष्ठ पर अंकित है। ]

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित 27/03/22 से. आ. नं. 1110 से. आ. नं. 1110  
**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956**

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में प्रस्तुत कर संक्षेपत निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
	09/18/16	1076-79	337	172	0.30	173	0.21	174	0.37	177	0.05
				178	0.02	179	0.07	180	0.27	181	0.10
				182	0.55	187	0.25	188	0.16		

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगाथी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/ अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

**क्रियात्मक- आदेश**

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है -

श्री भू.अ.निरीक्षक 09/18/16 को 2000 रु. की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल रफ्त करें। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

अध्यक्ष  
तालुका विधिक सेवा समिति  
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

सचिव  
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

सहायक (संदीप कुमार D.O.)  
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022 / 260

दिनांक 2022




प्रतिनिधी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पार्थी

1. भैरवलाल वि. बालू ब्रह्म वि. - कांवलाल

सपार्थी

1. रंगाराम वि. नारायण ब्रह्म वि. - कांवलाल
2. नन्दराम वि. यन्नालाल ब्रह्म वि. - कांवलाल
3. श्रीनारायण वि. यन्नालाल ब्रह्म वि. - कांवलाल
4. रामलाल वि. यन्नालाल ब्रह्म वि. - कांवलाल
5. सोहनी १०/१० यन्नालाल ब्रह्म वि. - कांवलाल
7. काशीलाल वि. सुबालाल ब्रह्म वि. - कांवलाल
8. बंशीलाल वि. सुबालाल ब्रह्म वि. - कांवलाल
9. रामलाल वि. सुबालाल ब्रह्म वि. - कांवलाल
10. जगदीश वि. किशना ब्रह्म वि. - कांवलाल
11. काशीराम वि. किशना ब्रह्म वि. - कांवलाल
12. गोपाल वि. किशना ब्रह्म वि. - कांवलाल
13. देवचन्द्र वि. किशना ब्रह्म वि. - कांवलाल
14. नन्दराम वि. मगनीराम ब्रह्म वि. - कांवलाल



अध्यक्ष  
विधिक सेवा समिति  
जिला भीलवाड़ा



सचिव  
तालुका विधिक सेवा समिति  
आसीन्द जिला भीलवाड़ा



सहायक कलेक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला भीलवाड़ा